Section 87 : Liability in case of amalgamation or merger of companies

(1) When two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court or of Tribunal or otherwise and the order is to take effect from a date earlier to the date of the order and any two or more of such companies have supplied or received any goods or services or both to or from each other during the period commencing on the date from which the order takes effect till the date of the order, then such transactions of supply and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt of the respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in the said order, for the purposes of this Act, the said two or more companies shall be treated as distinct companies for the period up to the date of the said order and the registration certificates of the said companies shall be cancelled with effect from the date of the said order.

धारा 87 : कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व

(1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और ऐसा आदेश, आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को आदेश के प्रभावी होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश की तारीख के बीच माल की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति की है या माल को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसी पूर्ति और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के पूर्ति या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वे तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होंगी।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियों समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा।